Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

<u>तुरन्त/तिथि बद्ध</u>

सेवा में

1. प्रधानाचार्य/उप–प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज
   सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
   (सिवाय) अम्बाला शहर, मारांपुर, बहल, संतौर, जुलाना, कालका एट बिटना, पंचकुला, नौल्था, रेवाडी, सहारनवास, कुंड मनेठी, पिहोवा, शाहबाद, गुरूग्राम, सोहना, मकरौली कलां, झज्जर एट गुढा, औढ़ा एट सिरसा, सोनीपत, कैथल, गुहला चीका, राजौंद, महेन्द्रगढ़, नारनौल, सढौरा, भिवानी।
2. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज
   सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(महिला),
   (सिवाय) हांसी, कालका एट बिटना, समालखा, गुरूग्राम, रोहतक, सिरसा, सोनीपत,।

यादि कं0 टीएस/छात्रनिधि फण्ड/कमेटी गठन/2016–17
दिनांक :

विषयः– वर्ष 2016–17 के लिए छात्रनिधि फण्ड कमेटी गठित करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

आप द्वारा अभी तक छात्रनिधि फण्ड कमेटी का गठन करके अनुमोदन हेतु केस निदेशालय को नहीं भेजा है। अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के पत्र यादि कमांक टीएस/छात्रनिधि फण्ड/कमेटी का गठन/2014–15/1359 दिनांक 21.07.2015 की पालना करते हुए छात्रनिधि फण्ड कमेटी का गठन करके केस निदेशालय को अनुमोदन हेतु एक सप्ताह के अन्दर–2 भेजें। छात्रनिधि कमेटी का गठन निम्न प्रकार से किया जाना है:–

1. संस्थान में कार्यरत वरिष्ठ वर्ग अनुदेशक या अनुदेशक को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना है।
2. संस्थान में कार्यरत अधीक्षक, उप–अधीक्षक या वरिष्ठ सहायक व लिपिक को कमेटी का सचिव नियुक्त किया जाना है।
3. संस्थान में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे छात्र/छात्राओं में से टोपर रहे तीन छात्र व दो छात्राओं को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया जाना है।

नोटः जिस संस्थान में केवल छात्र या केवल छात्राएं प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे/रही हैं उन संस्थानों में पांच छात्र व पांच छात्राओं को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया जाना है तथा ऐसी स्थिति में यह पुष्टि भी की जाए कि संस्थान में कोई भी छात्र/व छात्रा प्रशिक्षण ग्रहण नही कर रहे है।

आदेशों की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित की जाए तथा उक्त दिशा–निर्देशानुसार ही कमेटी का गठन किया जाए।

Sd/-
अधीक्षक (प्रशिक्षण–I)
कृतेः निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

पृष्ठां0क0 टीएस/छात्रनिधि फण्ड/कमेटी गठन/2016–17 3134 दिनांकः 16/2/17

एक प्रति सहायक निदेशक प्रशिक्षण–I एंव नोडल अधिकारी(वैबसाईट) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु भेजी जाती है।

अधीक्षक (प्रशिक्षण–I)
कृतेः निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।